(1)

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेस नोट

बिहार विरासत विकास समिति, पटना में निदेशक, वित्त एवं लेखा के पद पर भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा अथवा बिहार वित्त सेवा के साथ बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सेवानिवृत्त/सेवारत् पदाधिकारी का मनोनयन/नियुक्ति किया जाना है। इससे समिति में निदेशक, वित्त एवं लेखा के पद पर सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति/मनोनयन किया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

<u>कला एवं संस्कृति विभाग</u>

(2)

प्रेस नोट

प्रो0 अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, पटना के वेतन–भत्ते एवं सेवा–शर्तों के निर्धारण किया गया।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।

27/70

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

संचिका संख्या–4सं./अनु०5–01/2014 (खंड)

(3)

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार संग्रहालय, पटना एवं पटना संग्रहालय, पटना के सम्यक संचालन एवं रख–रखाव हेतु बिहार संग्रहालय समिति, पटना को गैर वेतन मद में कुल राशि ₹ 40,00,00,000/– (चालीस करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव

(4)

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)

प्रेस नोट

गृह विभाग (कारा) के अंतर्गत सीधी भर्ती से कक्षपाल के पद पर अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत तांती /ततवा जाति के 14 नियुक्त कर्मियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के पश्चात अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए कुल 14 (चौदह) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post /Shadow Post) के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी है।

24.8.26

सरकार के संयुक्त सचिव
गृह विभाग (कारा)
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

5

प्रेस नोट

बिहार में बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पशुपालकों की आय का महत्वपूर्ण आधार है। वर्तमान में बकरी पालकों के उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की संगठित व्यवस्था के अभाव में उन्हें अपने उत्पादों का अपेक्षित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रस्तावित फेडरेशन के माध्यम से बकरी पालकों को बकरी, मीट, दूध एवं अन्य उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, चारा, टीका, औषधि, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे बकरी पालकों को उत्पादों का उचित मूल्य मिलने, उनकी आय एवं रोजगार के अवसर बढ़ने तथा बकरी पालन को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्कीम अन्तर्गत "सात निश्चय–3" के तहत "बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड" के गठन एवं वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28 एवं 2028–29 में कुल रुपये 14,79,85,000/– (चौदह करोड़ उनासी लाख पचासी हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक में प्रदान की गयी है।

25/8/26

सचिव

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेस नोट

राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले दुधारू पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत दो हिफर (बछिया–पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। बक्सर के डुमरांव स्थित हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र एवं मुंगेर में स्थापित होने वाले इन केन्द्रों में 500–500 हिफर का पालन किया जाएगा। आधुनिक प्रजनन तकनीकों के उपयोग से उच्च गुणवत्ता वाली मादा बछियों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे भविष्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत हिफर (बछिया–पाड़ी) पालन केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान रुपये 4,55,00,000/– (रुपये चार करोड़ पचपन लाख) सहित कुल परियोजना लागत रुपये 73,47,79,000/– (रुपये तिहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख उनासी हजार) की स्वीकृति तथा शेष राशि रुपये 68,92,79,000/– (रुपये अड़सठ करोड़ बानवे लाख उनासी हजार) का व्यय राज्य स्कीम सात निश्चय–3 के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक में प्रदान की गयी है।

सचिव

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेस नोट

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 को बिहार राज्य में अंगीकार किये जाने से आवारा पशुओं की संख्या को मानवीय और वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित किया जायेगा। साथ ही पशुओं की पहचान, पंजीकरण, नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया पूरे राज्य में एक समान मानक पर की जायेगी। इससे आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, गंदगी और बीमारियों का खतरा कम होगा, स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी तथा पशुओं के कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 को बिहार राज्य में अंगीकार किये जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक में प्रदान की गयी है।

31/8/26
सचिव

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेस नोट

राज्य में लगभग 20 वर्षों से निष्क्रिय बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, पटना के विधिसम्मत विघटन, निगम की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विधिसम्मत निस्तारण, कर्मचारियों के वैध देयों के भुगतान तथा अन्य वैधानिक औपचारिकताओं के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई किए जाने के लिए बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, पटना को विघटित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की संपन्न बैठक में प्रदान की गई है।

सचिव

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेस नोट

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–2492 दिनांक–30.11.2005 द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2005 यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9359 दिनांक–09.07.2014 एवं अधिसूचना संख्या–20904 दिनांक–09.11.2023 प्रख्यापित होने के उपरान्तर्गत निर्धारित नये पद संरचना के अनुरूप डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) नियंत्रणाधीन वाहन चालक (मूल कोटि) के पदों का कार्यालयवार पुनर्गठन औचित्यपूर्ण आवश्यक था। क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू संचालन हेतु वाहन चालक (मूल कोटि) में स्वीकृत कुल पदों को सुव्यवस्थित कर स्वीकृत बल के अधीन रहते हुए जिला, परिक्षेत्र, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मत्स्य अनुसंधान केन्द्र तथा निदेशालय के कार्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार पदों के कार्यालयवार चिन्हितीकरण की आवश्यकता को देखते हुए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) नियंत्रणाधीन वाहन चालक (मूल कोटि) में स्वीकृत कुल 64 पदों के चिन्हितीकरण एवं पुनर्गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई हैं।

14/8/24
सचिव

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

विषयः– 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक राज्य के सभी नगर निकायों के लिए प्राप्त होने वाले बेसिक अनुदान एवं परफॉरमेंस अनुदान की कुल राशि ₹91,69,00,00,000/– रूपये (नौ हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ रूपये) सहित पटना नगर निगम के लिए प्रस्तावित विशेष अवसंरचना घटक और शहरीकरण प्रीमियम हेतु प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि भारत सरकार से विमुक्ति के पश्चात राज्य के नगर निकायों को जनसंख्या एवं स्व–स्रोत राजस्व (ओएसआर) के आधार पर 90:10 के अनुपात में आवंटित करने, और विशेष अवसंरचना घटक अन्तर्गत योजना की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु क्रमशः राजस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एस०एच०पी०एस०सी०) एवं राजस्तरीय तकनीकी समिति (एस०एल०टी०सी०) के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इससे भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त राशि नगर निकायों को विमुक्त किया जा सकेगा। जिससे नगर निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(11)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। प्रेस नोट।।

विषयः– राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक के लिये मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति।

इस योजना से संभावित लाभः–राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के सर्वांगीण विकास यथा (जिसमें) जल निकास सहित चौड़ी सुदृढ़, गुणवत्तायुक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार पार्किंग स्थल, फुटपाथ, प्रकाश व्यवस्था, झीलों, पार्कों, घाटों तथा जलाशयों इत्यादि का एक साथ प्रावधान होगा, जिससे राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में विकास की गति त्वरित होगी। इस हेतु जिला के माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा नगर निकायवार योजनाओं का चयन वर्षवार जनसंख्या के अनुसार कर्णांकित राशि कुल ₹500.00 करोड़ (रूपये पाँच सौ करोड़) मात्र की तीन गुणी राशि की अधिकतम सीमा तक किया जायेगा।

चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BUIDCo) द्वारा किया जायेगा।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य के शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा आधारभूत संरचना के विकास से आर्थिक गतिविधियाँ भी सुदृढ़ होंगी।

(विनय कुमार),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस नोट

राज्य के स्वामित्व वाली सड़को, पुलों तथा अन्य संरचनाओ पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एवं अनुश्रवण कार्य के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने सहित, सड़क उपयोगकर्ता शुल्क संरचना तैयार करने, सड़क उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह अनुबंधो / टी.ओ.टी, परियोजनाओं के नेटवर्किंग / बंडलिंग तथा अन्य संबद्ध कार्यो के लिए परामर्श सेवाएं प्राप्त करने हेतु कुल 3094.715 लाख (तीस करोड़ चौरानबे लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार सरकार द्वारा राज्याधीन महत्वपूर्ण पुलों एवं राज्य उच्च पथों पर गुजरने वाले वाहनों से पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क संग्रहित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्रथम चरण में राज्याधीन 250मी0 से अधिक लम्बाई वाले 47 पुलों एवं 55 राज्य उच्च पथों का चयन किया गया है। पथकर वास्तविक रूप में वसूली के पूर्व कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे पथों एवं पुलों से गुजरने वाले वाहनों का यातायात सर्वेक्षण कार्य, ओरीजीन – डेस्टीनेशन सर्वे कार्य किया जाना है। पथवार एवं पुलवार टॉल प्लाजा के लिए स्थान का चयन, सड़क / पुल के लेन की संख्या तथा वाहनों के यातायात के आधार पर टॉल प्लाजा का निर्माण किया जाना है। इलेक्ट्रोनिक टॉल कलेक्शन (फास्टैग) की व्यवस्था समाहित करने हेतु सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के अधिष्ठापन हेतु सिस्टम इन्टीग्रेटेड की सेवा लिया जाना है। इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात् टॉल संग्रहकर्त्ता एजेन्सी का चयन करते हुए टॉल संग्रह की कार्रवाई की जानी है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

13

प्रेस नोट

नई राजधानी पथ प्रमंडल अंतर्गत नेहरू पथ (डाकबंगला चौराहा से रूकनपुरा तक) के चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल 3980.00 लाख (उनचालीस करोड़ अस्सी लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

नेहरू पथ (डाकबंगला चौराहा से रूकनपुरा तक) को कुल 7.20 कि0मी0 में चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव है। नेहरू पथ के अलग–अलग पथांश में उपलब्ध राईट ऑफ वे (आर0ओ0डब्लू0) में आवश्यकतानुसार नाला, फुटपाथ इत्यादि को तोड़कर चौड़ीकरण करने का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

कोतवाली थाना के पास 150मी0 में, नियोजन भवन के पास 400मी0 में, बी0पी0एस0सी0 ऑफिस के पास 500मी0 में एवं मोर्या लोक के पास 110मी0 में चहारदीवारी को शिफ्ट करने का प्रावधान किया गया है। लोहिया पथ फ्लाईओभर (राजा बाजार फ्लाई ओभर) के दोनों तरफ सर्विस लेन में सड़क पर अतिक्रमण रोकने के लिए 5.00 कि0मी0 ग्रिल का प्रावधान किया गया है। चौड़ीकरण के दौरान मार्ग में आने वाले यूटीलिटी, पेड़ इत्यादि को शिफ्ट करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सड़क सुरक्षा एवं साईन बोर्ड का भी प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(14)

प्रेस नोट

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी – सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या–56 (रेलवे कि०मी०–104/8–9) के बदले सड़क उपरि पुल (ROB) कार्य अन्तर्गत पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु राज्यांश राशि ₹10049.66 लाख (रुपये सौ करोड़ उनचास लाख छियासठ हजार) तथा रेलवे अंश ₹992.80 लाख (रुपये नौ करोड़ बानबे लाख अस्सी हजार) सहित कुल लागत राशि ₹11042.46 लाख (रुपये एक सौ दस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

पहुँच पथ सहित सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का सम्पूर्ण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है।

वर्णित आर०ओ०बी० के निर्माण कार्य की कुल लागत राशि में राज्यांश राशि के अतिरिक्त शेष राशि रेलवे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

(पंकज कुमार पाल),
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

15

—:: प्रेस नोट::—

<u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</u>

राज्य में ई—कैबिनेट प्रणाली लागू करने में अनुमानित व्यय ₹2,75,00,000/—(दो करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

02/05/26

(अरविन्द कुमार वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव

16

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस नोट

भारत छोड़ो आंदोलन के निर्भीक आंदोलनकारी अमर शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

ह०/02.03.2026
(महेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\SANLEKH new.doc

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस नोट

स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं चम्पारण सत्याग्रह के सूत्रधार पं० राजकुमार शुक्ल की जयंती प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पश्चिमी चम्पारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

02.09.2026

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(18)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

सीवान जिलान्तर्गत अंचल–मैरवा, मौजा–मुड़ियारी, थाना सं0–82, खाता सं0–401, खेसरा सं0–1802 की कुल प्रस्तावित रकवा–7.44 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर 220/132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–3,15,21,420/– (तीन करोड़ पन्द्रह लाख इक्कीस हजार चार सौ बीस रूपये) मात्र के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

19

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

अरवल जिलान्तर्गत अंचल–करपी, मौजा–बेलखरा, थाना सं0–112 खाता सं0–261, खेसरा सं0–2738 एवं 2675 तथा खाता सं0–262, खेसरा सं0–2674 की कुल प्रस्तावित रकवा–25 एकड़, किस्म–परती कदीम गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

20

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत दानापुर अंचल के मौजा–धनौत, थाना नं0–20 में विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकवा–1.105 एकड़ मौजा–जलालपुर, थाना नं0–22 में विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकवा–0.395 एकड़ एवं मौजा–रूकनपुरा, थाना नं0–18 में विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकवा–0.0587 एकड़ सहित कुल रकवा–1.5587 एकड़ रेल मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व की भूमि एम0वी0आर0 (वर्ष 2014 के अनुसार) पर कुल परिगणित राशि मो0–10,31,51,600/– (दस करोड़ एकतीस लाख एकावन हजार छः सौ) रूपये मात्र का दीघा स्थित सड़क–सह–रेल पुल निर्माण के लिए रेलवे को हस्तान्तरित जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की रकवा–17.085 एकड़ भूमि के लिए परिगणित राशि मो0–64,27,06,957/– (चौसठ करोड़ सताईस लाख छः हजार नौ सौ सत्तावन) रूपये में से सामंजन के आधार पर जवाहर लाल नेहरू पथ मुख्य सड़क से दक्षिण पहुंच पथ के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

21

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल—गायघाट, मौजा—जारंग, थाना सं0—163, खाता सं0—3236, खेसरा सं0—6940 की कुल प्रस्तावित रकवा—3.15 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार की भूमि पर 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि—1,98,45,000/— (एक करोड़ अट्ठानवे लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—
नाम :— जय सिंह
पदनाम :— सचिव

(22)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल–बरौनी के मौजा–मल्हीपुर, थाना सं0–503, खाता सं0–261, खेसरा सं0–890 एवं 891 का रकवा क्रमशः 528 एकड़ एवं 172 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकवा–700 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेस नोट

व्यवहार न्यायालयों के कर्मचारियों को प्रोन्नति दिये जाने के निमित्त उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड–III) (वेतन स्तर–4) के स्वीकृत 7527 पदों में से 1478 पदों को उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड–II) (वेतन स्तर–6) एवं 1098 पदों को उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड–I) (वेतन स्तर–7) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पदों को उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड–III) (वेतन स्तर–4) का 4951 पद, उच्चवर्गीय लिपिक(ग्रेड–II) (वेतन स्तर–6) का 1478 पद एवं उच्चवर्गीय लिपिक (ग्रेड–I) (वेतन स्तर–7) का 1098 पद के रूप में पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है। इन पदों के उत्क्रमण के फलस्वरूप इनके स्थापना व्यय के रूप में राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष कुल रु0–73,30,41,360/–(तिहत्तर करोड़ तीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र का अनुमानित व्यय भारित होगा।

31-08-20

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

24

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय अंतर्गत मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्ण महिलाओं एवं पुरूषों हेतु क्रमशः पूर्णियाँ तथा गयाजी में 50–50 की आवासीय क्षमता वाले दो अतिरिक्त आसरा गृह संचालित किये जाने एवं इसके निमित प्रति आसरा गृह प्रतिवर्ष आवर्ती मद में रू0 62,26,200/– (बासठ लाख छब्बीस हजार दो सौ रूपये) तथा अनावर्ती मद में रू0 9,60,000/– (नौ लाख साठ हजार रूपये) की दर से दो गृहों के लिए कुल राशि– रू0 1,43,72,400/– (एक करोड़ तेतालीस लाख बहत्तर हजार चार सौ रूपये) मात्र की वार्षिक व्यय की स्वीकृति।

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक–1876 दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

विभाग का नाम :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

विभागीय अधिसूचना सं0– 17975 दिनांक– 22.09.2023 द्वारा अधिसूचित **"बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023"** में निहित प्रावधानों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग अन्तर्गत मुख्यालय स्थापना में भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त प्रशासनिक सेवा, बिहार सचिवालय सेवा, सूचना जन–सम्पर्क सेवा एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदाधिकारियों के पदों का सृजन, प्रशाखाओं, कोषांग/पटल के अनुरूप बढ़े हुए विभागीय कार्य के मद्देनजर वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्यालय स्थापना में कार्यालय परिचारी के पदों का पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गयी।

2. अतएव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थापना में "बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023" में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय स्थापना हेतु कार्यालय परिचारी के पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त **कार्यालय परिचारी (वेतन स्तर– 01) के कुल 16 (सोलह) नये पदों** के सृजन पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गयी।

हस्ताक्षर :– [signature] 9/8/24
नाम :– मो0 सोहैल
पदनाम :– सचिव

26

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। प्रेस नोट ।।

बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में श्रीमती पूनम सिन्हा, निदेशक–सह–प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय का दिनांक–31.08.2026 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक–01.09.2026 से एक वर्ष के लिए बिहार विधान सभा सचिवालय में निदेशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन करने का निर्णय लिया गया।

27.8.2026

(रॉबर्ट एल० चोंग्थू)
प्रधान सचिव।

(64)

(27)

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

उच्च शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–1202 दिनांक 19.08.2026 को निरस्त करने, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31) तक विस्तारित करने तथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ₹4,00,000/– (चार लाख) रूपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था पूर्ववत् लागू रखने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस निर्णय से राज्य में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा राज्य के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

(राजीव रौशन)
सचिव, उच्च शिक्षा विभाग